

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत

बायतु

मुकाम

जिला - बाडमेर

219/113 का)

बनाम

मेधा (14 9)

किस्म मुकदमा

नं.

65

सन्

2022

88, 188

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/03/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांकको पेश हो।</p>	
04/04/2022	<p>वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी संख्या - 1 की कोर्ट से वकील श्री चेताराम जायड डार वडावातनामा मय इडवाली जवाबदावा पेश विमा गमा जिमरी उति वादी वकील श्री डी जाडर शामिल पत्रावली विमा गमा। वादी वकील डार वादी माधु डे रूप में PW-1 - शिवलाल पुम मेघाराम जाति-जाट निवासी-डुंगराबिन्दो ही बली पटवार मण्डल-सवाड पटमालिह तटमालि- गिड। जिला-बाडमेर व टवंम गवाट PW-2 - मेघाराम पुम धनाराम जाति-जाट निवासी-डुंगराबिन्दो ही बली तटमालि- गिड। जिला- बाडमेर डे वापथ- पम पेश विमगमे जिमे शामिल पत्रावली विमा गमा। वादी</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाडमेर</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाडमेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुक्म क्रमांक
में जारी

वहील की एडवॉकेट वदम सुनी जई पत्रावली
क पत्रावली के संलग्न राजाव रेडर का किलो
उन विमा गमा। वाड किलोडम फारी का
वाड रेडर विमा जाडर निवाच मेलग
ले लिखा गमा क शामिल पत्रावली
विमा गमा। डिग्री पत्रावली जाडी दोडर
पत्रावली मेलम सुमाट डॉ, इज नाम
से इम डॉ, डाकिल दमर डॉ/म

सहायक कलक्टर (उडो)
बायतु
जिला - बाइनेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 65/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिवलाल पुत्र मेघाराम, 2. हिमथाराम पुत्र मेघाराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाडमेर		1. मेघाराम पुत्र दुदाराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

:- निर्णय :-

दिनांक : 4/4/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 312/209 रकबा 12.4724 हैक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज रावताराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकवाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं शिवलाल पुत्र मेघाराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में



उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

अमराराम पुत्र धनाराम का शपथ पत्र PW । पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW । पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काशत की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगाने जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज रावताराम के विधिक वारिसान है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 312/209 रकबा 12.4724 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ़तर हो।



निर्णय आज दिनांक 4/4/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर एवं
जिला-वाइस-मैजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. शिवलाल पुत्र मेघाराम,
2. हिमथाराम पुत्र मेघाराम,
जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी,
सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाडमेर

1. मेघाराम पुत्र दुदाराम,
जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की
ढाणी, सवाऊ पदमसिंह,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाडमेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 65/2022.

निर्णय दिनांक :- 4/4/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 4/4/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 312/209 रकबा 12.4724 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4/4/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	